भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2215
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

फर्जी संदेश और कॉल्स

2215. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मैकफी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 82 प्रतिशत लोग फर्जी संदेशों का शिकार हो रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फिशिंग और टेक्स्ट मैसेज घोटाले भी बढ़ रहे हैं;

(ग) सरकार हाल की इस प्रवृत्ति को किस प्रकार देखती है कि ऑनलाइन जालसाज लक्ष्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं और इस खतरे से निपटने की योजना बना रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने फरवरी, 2025 के तीसरे सप्ताह के दौरान स्पैम कॉलों आदि के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे साइबर घोटालों से लोगों को किस हद तक मदद मिलेगी?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) कुछ संगठनों द्वारा उनकी ओर से प्रकाशित अध्ययनों को सरकार द्वारा न तो वैधता प्रदान की जाती है और न ही प्रमाणित किया जाता है।

(ख) कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत के संविधान

की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम प्रदान करने हेतु एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) की स्थापना की है। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान क्रमशः 523, 1714, 869 और 785 फ़िशिंग घटनाएं देखी गई।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास की प्रगति के साथ जालसाज नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उनमें से एक है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं जिनमें जाली दस्तावेजों के आधार पर लिए गए सिम की पहचान करने हेतु स्वदेशी एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स टूल का विकास शामिल है।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 12.02.2025 को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के विरुद्ध उपभोक्ता सुरक्षा को और सशक्त करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम [टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर)], 2018 में संशोधन किया है। संशोधित विनियमों का उद्देश्य दूरसंचार संसाधन के दुरुपयोग के बदलते हुए तरीकों से निपटना और उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी वाणिज्यिक संचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।

******